न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 36/2025

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –

1. चंद्रप्रकाश पुत्र प्रताप मल जाति खत्री निवासी रामसर (मैसर्स बच्चोमल सीताराम, रामसर जिला बाडमेर का विक्रेता)
2. मीना देवी पत्नी प्रताप मल निवासी रामसर (मैसर्स बच्चोमल सीताराम, रामसर जिला बाडमेर की मालिक)
3. गौतम चंद्र जैन पुत्र चम्पालाल (मैसर्स महावीर सेल्स कॉर्पोरेशन, कृषि उपज मण्डी, बाडमेर का मालिक)
4. अशोक भाई नाथूभाई सुखाड़िया (M/s Shree Radhe Dairy Farm & Foods Pvt Ltd, 427, 428 sky view Near Swaminarayan temple, opp Dream land party plot varachha kamrej main road, Surat 395006)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अमृतलाल जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1, 2 एवं 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर (राज.) सत्यमेव जयते

आदेश

दिनांक : 12.01.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी की फर्म **मैसर्स बच्चोमल सीताराम, रामसर जिला बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **19.10.2024** को एक रेंक में लगभग 40–50 किग्रा विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड वास्तु,** को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **घी ब्राण्ड वास्तु** में से कुल 4 लीटर वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2645** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड वास्तु** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड वास्तु** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त घी वास्तु ब्राण्ड का मैसर्स श्री राधे डेयरी फार्म एण्ड फुड लिमिटेड से कय किया था तथा उक्त घी डब्बा बंद आता है तथा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा डब्बा बंद ही विकय किया जाता है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा कय सुदा घी के बिल तत्समय ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिए गए थे। जिन डब्बों से जांच हेतु नमूना लेकर पब्लिक हेल्थ लेब्रोरेटरी जोधपुर में भेजा गया था बाद जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानकों में किसी भी प्रकार से विपरीत रिपोर्ट नहीं आई फिर भी जान बुझकर केवल मात्र प्रकरण दर्ज करने की नियत से foreign fat present लिखा गया है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थो से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **29.10.2024** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया। अप्रार्थी ने लिखित में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त घी वास्तु ब्राण्ड का मैसर्स श्री राधे डेयरी फार्म एण्ड फुड

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

लिमिटेड से क्रय किया था तथा उक्त घी डब्बा बंद आता है तथा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा डब्बा बंद ही विक्रय किया जाता है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा क्रय सुदा घी के बिल तत्समय ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिए गए थे। जिन डब्बों से जांच हेतु नमूना लेकर पब्लिक हेल्थ लेब्रोरेटरी जोधपुर में भेजा गया था बाद जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानकों में किसी भी प्रकार से विपरीत रिपोर्ट नहीं आई फिर भी जान बुझकर केवल मात्र प्रकरण दर्ज करने की नियत से foreign fat present लिखा गया है। अतः प्रकरण खारिज करवाने की कृपा करावें। प्रस्तुत परिवाद **घी ब्राण्ड वास्तु** से संबंधित है, जिसकी प्रयोगशाला जांच में Test for foreign fat का मानक foreign fat should be absent के मुकाबले foreign fat present पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थी ने उक्त खाद्य पदार्थ के अवमानक पाये जाने के तथ्य का अपने प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 01 व 02 पर **रूपये 25,000/–**, अप्रार्थी संख्या 03 पर **रूपये 25,000/–** एवं अप्रार्थी संख्या 4 पर **रूपये 60,000/–**का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 12.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर